कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1025/सहारनपुर/17752/2016, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 11, 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : शिवालिक वन प्रभाग में छुटमुलपुर–गणेशपुर भाग (एन0एच0–72ए) किमी0 4.100 से 16.000 तक तथा रूड़की–छुटमुलपुर–सहारनपुर–यमुनानगर (एन0एच0–73) किमी0 22.000 से 23.000 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 39.295 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4436 वृक्षों के पातन व सा0वा0 सहारनपुर वन प्रभाग में किमी0 28.300 से 70.000 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 30.966 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 3408 वृक्षों के पातन **कुल 70.201 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7844 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/48/2017/एफसी/75, दिनांक 14.08.17.
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–158/14–2–2017–800(32)/2017, दिनांक 18.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस आशय से वापस प्राप्त हुयी थीं कि इंगित सूचनाओं को पूर्ण करते हुए संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराया जाय। भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं के निराकरण की कार्यवाही प्रयोक्ता एजेंसी व सम्बन्धित कार्यालय स्तर से अपेक्षित थी।

भारत सरकार के बिन्दु–4, 8 एवं 9 के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं की सूचनाओं का निराकरण कर वन संरक्षक सहारनपर के पत्रांक–727/14–10, दि0 04.09.2017 द्वारा, बिन्दु–4, 8 से सम्बन्धित सूचना का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, सहारनपर के पत्रांक–1225/14–10, दि0 09.10.2017 द्वारा तथा बिन्दु–9 से सम्बन्धित सूचना परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0,देहरादून के पत्र दि0 10.10.17 द्वारा दिनांक 11.10.2017 को इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है।

अतः वन संरक्षक, सहारनपर के उक्त दोनों पत्रों, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0,देहरादून के पत्र दि0 10.10.17 की संलग्नक सहित छायाप्रति एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः प्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,
11/10

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

3– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।

4– प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।

5– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0,देहरादून, मकान नं0–5 लेन नं0–4, तेगबहादर रोड, देहरादून।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।